

डिजिटल युग में महिला सशक्तिकरण: सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक भागीदारी का समाजशास्त्रीय अध्ययन

राजेन्द्र कुमार यादव

सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय ढाना, जिला सागर, म.प्र.

सारांश

डिजिटल तकनीकों और सोशल मीडिया के विस्तार ने महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक नेटवर्किंग और सामूहिक आवाज के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संदर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और महिला सशक्तिकरण के अंतर्संबंध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करता है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों और उपलब्ध शोध-साहित्य पर आधारित वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। Kabeer के संसाधन-एजेंसी-उपलब्धि ढाँचे को केंद्रीय सैद्धांतिक आधार तथा Bourdieu की सामाजिक पूंजी और Castells की नेटवर्क समाज अवधारणाओं को सहायक दृष्टिकोण के रूप में ग्रहण किया गया है। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि सोशल मीडिया सूचना, सामाजिक नेटवर्क, समर्थन, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामुदायिक सहभागिता और सामूहिक कार्रवाई के अवसर प्रदान कर सकता है; किंतु डिजिटल पहुँच को स्वतः सशक्तिकरण नहीं माना जा सकता। व्यक्तिगत उपकरण पर नियंत्रण, डिजिटल कौशल, निजता, सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण, पारिवारिक-सामुदायिक मानदंड और स्वतंत्र उपयोग डिजिटल स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। अध्ययन का केंद्रीय तर्क है कि सोशल मीडिया की सशक्तिकारी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि महिलाएँ डिजिटल संसाधनों को किस सीमा तक सामाजिक पूंजी, सार्थक सामाजिक भागीदारी तथा व्यक्तिगत, संबंधपरक और सामूहिक एजेंसी में परिवर्तित कर पाती हैं।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण; सोशल मीडिया; सामाजिक भागीदारी; डिजिटल स्वायत्तता; सामाजिक पूंजी; एजेंसी

1. प्रस्तावना

डिजिटल युग में इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया केवल संचार के साधन नहीं रह गए हैं; वे सामाजिक संबंधों, सूचना के प्रवाह, पहचान की अभिव्यक्ति, सार्वजनिक विमर्श और नागरिक सहभागिता के महत्वपूर्ण मंच बन चुके हैं। महिलाओं के संदर्भ में इन परिवर्तनों का विशेष समाजशास्त्रीय महत्व है, क्योंकि उनकी सार्वजनिक उपस्थिति और सामाजिक भागीदारी ऐतिहासिक रूप से लैंगिक श्रम-विभाजन, घरेलू उत्तरदायित्वों, संसाधनों पर असमान नियंत्रण और पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रभावित रही है। डिजिटल माध्यम इन सीमाओं को पूरी तरह समाप्त नहीं करते, परंतु वे सहभागिता के ऐसे अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित करते हैं जिनमें भौगोलिक दूरी, समय और संस्थागत नियंत्रण की कुछ बाधाएँ अपेक्षाकृत कम हो सकती हैं।

भारतीय संदर्भ में डिजिटल मीडिया ने महिलाओं के लिए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलने, समुदाय बनाने और सामूहिक लामबंदी के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। Raj (2023) ने डिजिटल माध्यमों को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक-राजनीतिक लामबंदी और नारीवादी वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र (Feminist Counter-publics) के निर्माण से जोड़ा है, साथ ही trolling और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी प्रतिकूलताओं को भी रेखांकित किया है। भारतीय #MeToo आंदोलन पर Pain (2021) और Nanditha (2022) के अध्ययन बताते हैं कि डिजिटल मंच महिलाओं की आवाज को सार्वजनिक बनाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन representation, अंतर्संबंधता (intersectionality) और platform-based hostility की समस्याएँ बनी रहती हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल प्रश्न यह नहीं है कि महिलाएँ सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उपयोग की प्रकृति क्या है, उस पर उनका कितना नियंत्रण है, उससे किस प्रकार के सामाजिक संसाधन प्राप्त होते हैं और क्या ऑनलाइन सहभागिता उनकी ऑफलाइन एजेंसी तथा सामाजिक प्रभाव को भी विस्तृत करती है। डिजिटल पहुँच, डिजिटल स्वायत्तता, सामाजिक भागीदारी और सशक्तिकरण को एक ही अवस्था मान लेना तकनीकी नियतिवाद की ओर ले जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन इन अवस्थाओं के बीच अंतर करते हुए उनके अंतर्संबंधों का विश्लेषण करता है।

महिला डिजिटल सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय अर्थ केवल महिलाओं की तकनीकी उपस्थिति बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ विकसित करना है जिनमें महिलाएँ सूचना, नेटवर्क, अभिव्यक्ति और निर्णय के अवसरों का स्वतंत्र एवं सुरक्षित उपयोग कर सकें। इसलिए यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण को डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर एजेंसी, सार्थक सामाजिक भागीदारी और संरचनात्मक बाधाओं के संदर्भ में रखता है।

2. अवधारणात्मक एवं सैद्धांतिक आधार

Kabeer (1999) का संसाधन-एजेंसी-उपलब्धि (Resources-Agency-Achievements) ढाँचा इस अध्ययन का मुख्य सैद्धांतिक आधार है। डिजिटल संदर्भ में स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल कौशल, सूचना और सामाजिक नेटवर्क को संसाधन माना जा सकता है; परंतु संसाधनों का होना अपने आप एजेंसी या उपलब्धि (achievement) में परिवर्तित नहीं होता। यदि महिला के पास उपकरण है, लेकिन उपयोग पर पारिवारिक नियंत्रण है, निजता नहीं है अथवा ऑनलाइन हिंसा का भय है, तो संसाधन की सशक्तिकारी क्षमता सीमित रह सकती है।

Bourdieu (1986) की सामाजिक पूंजी की अवधारणा डिजिटल नेटवर्क के विश्लेषण में उपयोगी है। सोशल मीडिया पर संपर्कों (contacts), अनुयायियों (followers) या समूह-सदस्यता (group membership) को स्वतः सामाजिक पूंजी नहीं माना जा सकता। सामाजिक पूंजी तब बनती है जब संबंधों से उपयोगी सूचना, भरोसा, सहयोग, अवसर या सामूहिक समर्थन प्राप्त हो। Rice et al. (2023) ने भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में डिजिटल पहुँच और सामाजिक पूंजी को जोड़ते हुए एक परिवर्तन-सिद्धांत (Theory of Change) प्रस्तुत किया है।

Castells (2010) की नेटवर्क समाज (Network Society) की अवधारणा यह समझने में सहायक है कि आधुनिक समाज में शक्ति, संचार और सामाजिक संबंध तेजी से नेटवर्कों के माध्यम से संगठित होते हैं। महिलाओं के लिए इसका अर्थ यह हो सकता है कि परिवार और स्थानीय समुदाय तक सीमित सामाजिक संबंध क्षेत्रीय, पेशेवर और मुद्रा-आधारित नेटवर्कों से जुड़ें। फिर भी दृश्यता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक स्थिति नेटवर्क में प्रभाव की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में 'सार्थक सामाजिक भागीदारी' से आशय ऐसी डिजिटल सहभागिता से है जिसके माध्यम से महिलाओं को सूचना, सामाजिक समर्थन, उपयोगी नेटवर्क, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामुदायिक अथवा नागरिक जुड़ाव, सामूहिक कार्रवाई या निर्णय-निर्माण के अवसर प्राप्त हों। निष्क्रिय सामग्री-दर्शन (Passive Scrolling), मनोरंजन या केवल संपर्कों की संख्या को अपने आप सार्थक सामाजिक भागीदारी नहीं माना गया है।

3. साहित्य समीक्षा

डिजिटल लैंगिक विभाजन पर समकालीन साहित्य यह स्पष्ट करता है कि तकनीकी उपलब्धता (technology availability) और वास्तविक उपयोग के बीच सामाजिक शक्ति-संबंध कार्य करते हैं। Sharma and Ojha (2025) की व्यवस्थित साहित्य समीक्षा (systematic literature review) लैंगिक डिजिटल विभाजन (gender digital divide) को शक्ति-संबंध (power relations) के संदर्भ में रखती है। Vyas (2025) ने भारत के छह राज्यों की निम्न-आय महिलाओं पर आधारित अध्ययन में पाया कि मोबाइल उपयोग व्यक्तिगत आत्मविश्वास और डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ परिवार की अनुमति, निगरानी (monitoring) और समुदाय के लैंगिक मानदंडों से प्रभावित होता है।

Mukherjee, Ilavarasan, and Kar (2024) ने भारत की 6,989 गरीब बेरोजगार कामकाजी आयु की महिलाओं के सर्वेक्षण आँकड़ों (survey data) के आधार पर डिजिटल कौशल प्रशिक्षण (digital-skills training) और आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के संबंध का अध्ययन किया। उनके निष्कर्षों में प्रशिक्षण के अनुभूत मूल्य (perceived value) और सीखे हुए कौशल के वास्तविक उपयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इससे स्पष्ट होता है कि अर्जित कौशल का सार्थक उपयोग आवश्यक है।

सोशल मीडिया सहभागिता को एकल गतिविधि की तरह नहीं देखा जा सकता। उपलब्ध भारतीय साहित्य से यह स्पष्ट है कि डिजिटल मंचों का उपयोग सूचना, सामाजिक नेटवर्किंग, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, नागरिक सहभागिता और सामूहिक लामबंदी जैसे भिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है (Raj, 2023; Pain, 2021)। इसलिए केवल उपयोग की आवृत्ति के बजाय सहभागिता की प्रकृति और उससे उत्पन्न सामाजिक परिणामों पर ध्यान देना अधिक उपयुक्त है।

Raj (2023) ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से लामबंदी (mobilisation), समुदाय निर्माण और नारीवादी वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र (Feminist Counter-publics) की संभावनाओं का विश्लेषण किया। Pain (2021) ने भारतीय #MeToo आंदोलन में Public Voice के विकास के साथ बहिष्करण (exclusion), डिजिटल श्रम (digital labour) और लैंगिक भेदभावपूर्ण platform structures जैसी

सीमाओं को सामने रखा। Nanditha (2022) ने अंतर्संबंधता (intersectionality) और हाशिये की आवाजों (marginalized voices) के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की ओर ध्यान दिलाया।

Parthiban et al. (2022) का ग्रामीण पश्चिम बंगाल अध्ययन स्मार्टफोन पहुँच, सामाजिक पूंजी और महिलाओं के कल्याण संबंधी परिणामों के बीच संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण और online-सामुदायिक सहयोग जैसी सहायक परिस्थितियों का महत्व सामने आया। Rice et al. (2023) ने Self-Help Groups (SHGs) और सामाजिक पूंजी के आधार पर डिजिटल हस्तक्षेपों (digital interventions) को मौजूदा सामूहिक संरचनाओं से जोड़ने की संभावना दिखाई।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर 2023 के एक अध्ययन (B. M. & Suresh, 2023) में सोशल मीडिया से संबंधित कारकों और सामाजिक भागीदारी के बीच संबंध पाया गया। नमूने (sample) की विशिष्टता के कारण इसे सभी भारतीय महिलाओं पर सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। Mangurkar and Rangaswamy (2022) का 'Controlled Empowerment' का विचार बताता है कि डिजिटल सशक्तिकरण सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रणों से मुक्त प्रक्रिया नहीं है।

समग्रतः साहित्य बताता है कि डिजिटल संसाधन महिलाओं के लिए सूचना, नेटवर्क, आवाज और सामूहिक कार्रवाई के अवसर बढ़ा सकते हैं, लेकिन परिणाम व्यक्तिगत कौशल, पारिवारिक शक्ति-संबंध, सामुदायिक मानदंड, जाति-वर्गीय स्थिति, सुरक्षा और प्लेटफ़ॉर्म परिवेश से मध्यस्थित होते हैं।

4. शोध-अंतराल

उपलब्ध साहित्य में लैंगिक डिजिटल विभाजन (gender digital divide), डिजिटल साक्षरता, राजनीतिक भागीदारी, डिजिटल नारीवाद (digital feminism), सामाजिक पूंजी और ऑनलाइन उत्पीड़न पर महत्वपूर्ण शोध है; किंतु ये धाराएँ प्रायः अलग-अलग विश्लेषित होती हैं। भारतीय संदर्भ में अपेक्षाकृत कम अध्ययन डिजिटल पहुँच से शुरू होकर डिजिटल स्वायत्तता, सोशल मीडिया सहभागिता, सामाजिक पूंजी, सार्थक सामाजिक भागीदारी और एजेंसी को एक संयुक्त समाजशास्त्रीय विश्लेषणात्मक मार्ग (pathway) में रखते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन डिजिटल पहुँच और सशक्तिकरण के बीच सार्थक भागीदारी तथा एजेंसी को केंद्रीय मध्यवर्ती प्रक्रियाएँ मानते हुए एक समेकित विश्लेषणात्मक मार्ग (integrated analytical pathway) प्रस्तावित करता है। यह कारणात्मक मॉडल (causal model) नहीं, बल्कि उपलब्ध द्वितीयक साक्ष्यों के संश्लेषण से निर्मित अवधारणात्मक प्रस्ताव (conceptual proposition) है।

5. अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में महिलाओं की डिजिटल पहुँच तथा लैंगिक एवं ग्रामीण-शहरी डिजिटल असमानताओं का विश्लेषण करना।
2. सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक भागीदारी के प्रमुख स्वरूपों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।
3. डिजिटल नेटवर्क और सामाजिक पूंजी की महिलाओं की सामाजिक भागीदारी एवं एजेंसी में भूमिका का विश्लेषण करना।
4. डिजिटल स्वायत्तता, पितृसत्तात्मक नियंत्रण, सामाजिक असमानता और ऑनलाइन लैंगिक हिंसा जैसी संरचनात्मक परिस्थितियों का अध्ययन करना।
5. यह समझना कि सोशल मीडिया आधारित सार्थक सामाजिक भागीदारी किन परिस्थितियों में महिला सशक्तिकरण में योगदान कर सकती है।

6. शोध प्रश्न

1. सोशल मीडिया महिलाओं की सामाजिक भागीदारी के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित करता है?
2. डिजिटल नेटवर्क और सामाजिक पूंजी महिला एजेंसी से किस प्रकार संबंधित हैं?
3. क्या डिजिटल पहुँच स्वयं महिला सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त है?
4. महिलाओं की सार्थक डिजिटल सहभागिता को कौन-सी सामाजिक-संरचनात्मक बाधाएँ प्रभावित करती हैं?
5. सोशल मीडिया आधारित सामाजिक भागीदारी किन परिस्थितियों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगदान कर सकती है?

7. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित समाजशास्त्रीय अध्ययन है। सामग्री के चयन में तीन प्रकार के स्रोतों को प्राथमिकता दी गई: महिला सशक्तिकरण, सामाजिक पूंजी और Network Society से संबंधित स्थापित सैद्धांतिक अध्ययनों; भारत में महिलाओं, डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया, सामाजिक भागीदारी, डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन सक्रियता पर peer-reviewed अनुभवजन्य अध्ययनों; तथा डिजिटल पहुँच और लैंगिक अंतर (gender gap) के लिए आधिकारिक अथवा उच्च-विश्वसनीयता संस्थागत आँकड़ों और रिपोर्टों।

साहित्य का विषयगत संश्लेषण (thematic synthesis) पाँच विश्लेषणात्मक आयामों के आधार पर किया गया: डिजिटल पहुँच और स्वामित्व; डिजिटल स्वायत्तता और कौशल; सोशल मीडिया सहभागिता और सामाजिक पूंजी; सार्थक सामाजिक एवं नागरिक भागीदारी; तथा एजेंसी, सशक्तिकरण और संरचनात्मक बाधाएँ। ऐसे स्रोतों को प्राथमिकता दी गई जिनमें भारतीय संदर्भ, स्पष्ट पद्धति (methodology) और प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक परिणाम उपलब्ध थे।

आधिकारिक भारतीय डिजिटल स्थिति के लिए National Statistics Office (2025) की Comprehensive Modular Survey: Telecom रिपोर्ट का उपयोग किया गया। अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए ITU (2025) को सहायक स्रोत के रूप में लिया गया है। अध्ययन में किसी काल्पनिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार या क्षेत्रीय अवलोकन (field observation) का दावा नहीं किया गया है और द्वितीयक साक्ष्यों से कारणात्मक संबंध (causal relationship) स्थापित नहीं किया गया है।

विभिन्न अनुभवजन्य अध्ययनों में सशक्तिकरण, सहभागिता और डिजिटल सहभागिता की परिचालनात्मक परिभाषाएँ (operational definitions) अलग-अलग हैं। इसलिए अध्ययन सांख्यिकीय मेटा-विश्लेषण (meta-analysis) नहीं करता, बल्कि समाजशास्त्रीय अवधारणात्मक संश्लेषण प्रस्तुत करता है।

8. भारत में महिलाओं की डिजिटल पहुँच और डिजिटल स्वायत्तता

National Statistics Office (2025) के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में अखिल भारतीय स्तर पर इंटरनेट उपयोग पुरुषों में 76.7 प्रतिशत और महिलाओं में 63.1 प्रतिशत था। ग्रामीण महिलाओं में यह 57.6 प्रतिशत तथा शहरी महिलाओं में 74.0 प्रतिशत था। यह अंतर दिखाता है कि डिजिटल विस्तार के बावजूद लिंग और ग्रामीण-शहरी स्थिति डिजिटल पहुँच की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। लैंगिक और ग्रामीण-शहरी अंतर को तालिका 1 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1. भारत में इंटरनेट उपयोग, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु, 2025 (%)

क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
ग्रामीण	72.1	57.6	64.9
शहरी	85.5	74.0	79.9
अखिल भारतीय	76.7	63.1	70.0

स्रोत: National Statistics Office (2025).

व्यक्तिगत मोबाइल फोन स्वामित्व में अंतर और अधिक है: पुरुषों में 83.9 प्रतिशत और महिलाओं में 56.2 प्रतिशत। ग्रामीण महिलाओं में स्वामित्व 48.4 प्रतिशत तथा शहरी महिलाओं में 71.8 प्रतिशत थी (National Statistics Office, 2025)। इंटरनेट उपयोग और व्यक्तिगत उपकरण स्वामित्व के बीच अंतर कनेक्टिविटी (connectivity) और व्यक्तिगत नियंत्रण को अलग संकेतकों के रूप में देखने की आवश्यकता बताता है। व्यक्तिगत मोबाइल स्वामित्व का तुलनात्मक विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2. भारत में मोबाइल फोन का व्यक्तिगत स्वामित्व, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु, 2025 (%)

क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
ग्रामीण	80.7	48.4	64.6
शहरी	90.0	71.8	81.2
अखिल भारतीय	83.9	56.2	70.2

स्रोत: National Statistics Office (2025).

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लैंगिक डिजिटल अंतर (gender digital gap) बना हुआ है। International Telecommunication Union [ITU] (2025) के वैश्विक आँकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं का इंटरनेट उपयोग पुरुषों से पीछे है। भारतीय स्थिति को वैश्विक संदर्भ में देखने पर लैंगिक असमान डिजिटल पहुँच व्यापक डिजिटल विकास की चुनौती के रूप में दिखाई देती है, जबकि भारत में पारिवारिक शक्ति-संबंध और सामाजिक मानदंड इसे विशिष्ट रूप देते हैं।

Vyas (2025) के निष्कर्ष बताते हैं कि निम्न-आय वर्ग की महिलाओं का फोन उपयोग आत्मविश्वास और कौशल के अतिरिक्त पारिवारिक अनुमति, निगरानी (monitoring) और सामुदायिक मानदंडों से सीमित हो सकता है। इसलिए डिजिटल स्वायत्तता को व्यक्तिगत उपकरण, उपयोग पर नियंत्रण, निजता (privacy), कौशल, समय और सुरक्षा के संयुक्त आयाम के रूप में समझना उचित है।

9. सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक भागीदारी

सोशल मीडिया महिलाओं की सामाजिक भागीदारी के लिए सूचना एवं ज्ञान-साझाकरण, सामाजिक नेटवर्किंग, सामाजिक समर्थन, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामुदायिक/नागरिक सहभागिता और सामूहिक कार्रवाई के अवसर प्रदान कर सकता है। इन आयामों की सशक्तिकारी क्षमता उपयोग की मात्रा से अधिक उनके सामाजिक परिणामों पर निर्भर करती है। इन संभावित सामाजिक परिणामों का विश्लेषणात्मक सार तालिका 3 में प्रस्तुत है।

तालिका 3. डिजिटल सहभागिता से महिला सशक्तिकरण तक संभावित समाजशास्त्रीय संबंध

आयाम	संभावित डिजिटल भूमिका	संभावित परिणाम
सूचना	अधिकार/अवसर की जानकारी	जागरूकता और विकल्प
सामाजिक नेटवर्क	उपयोगी संपर्क	सामाजिक पूंजी
सामाजिक समर्थन	अनुभव/सहयोग	सामाजिक समर्थन
सार्वजनिक अभिव्यक्ति	विचार/अनुभव व्यक्त करना	आवाज और दृश्यता
सामुदायिक सहभागिता	समूहों से जुड़ाव	सामाजिक भूमिका
नागरिक सहभागिता	सार्वजनिक मुद्दों पर संवाद	नागरिक एजेंसी
सामूहिक कार्रवाई	अभियान/लामबंदी	सामूहिक एजेंसी

स्रोत: लेखक का विश्लेषणात्मक संश्लेषण।

सूचना तक पहुँच महिलाओं को अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में जागरूक कर सकती है। किंतु भ्रामक सूचना (misinformation), भाषा और डिजिटल साक्षरता की समस्याओं के कारण आलोचनात्मक डिजिटल साक्षरता (critical digital literacy) आवश्यक है। Mukherjee et al. (2024) के निष्कर्ष कौशल के वास्तविक उपयोग की महत्ता को रेखांकित करते हैं।

सामाजिक नेटवर्क के स्तर पर सोशल मीडिया स्थानीय संबंधों से बाहर नए संपर्क (contacts) उपलब्ध करा सकता है। Bourdieu (1986) के दृष्टिकोण से इन संपर्कों का मूल्य तब बढ़ता है जब वे उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित हों। Rice et al. (2023) का SHG-आधारित framework इस संदर्भ में विशेष रूप से उपयोगी है।

सार्वजनिक अभिव्यक्ति में डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश-नियंत्रण (Gatekeeping) को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। Raj (2023), Pain (2021) और Nanditha (2022) बताते हैं कि महिलाएँ भेदभाव और लैंगिक हिंसा (gender-based violence) जैसे मुद्दों पर डिजिटल मंचों का उपयोग Public Voice और लामबंदी (mobilisation) के लिए करती हैं। फिर भी Public Voice, दृश्यता और प्रभाव समान नहीं हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन सहभागिता को परस्पर पूरक माना जाना चाहिए। डिजिटल संचार स्थानीय समूहों की बैठक, अभियान, सहायता और सूचना-प्रवाह को सुगम बना सकता है; वहीं ऑफलाइन विश्वास ऑनलाइन समूहों को अधिक सार्थक बना सकता है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर अध्ययन (B. M. & Suresh, 2023) सामाजिक भागीदारी के आयाम के लिए अनुभवजन्य संकेत देता है।

इस आधार पर सार्थक भागीदारी को ऐसी सहभागिता माना जा सकता है जिसमें महिला केवल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित न हो, बल्कि नेटवर्क, ज्ञान, Public Voice, सहयोग अथवा सामूहिक कार्रवाई से वास्तविक सामाजिक संसाधन प्राप्त करे।

10. महिला एजेंसी और संरचनात्मक बाधाएँ

एजेंसी का प्रश्न यह है कि महिला उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपने विकल्पों, आवाज और निर्णय क्षमता के विस्तार के लिए किस सीमा तक कर सकती है। Kabeer (1999) के ढाँचे (framework) के अनुसार संसाधनों (resources) और उपलब्धियों (achievements) के बीच एजेंसी निर्णायक कड़ी है।

पितृसत्तात्मक नियंत्रण डिजिटल क्षेत्र में नए रूप ग्रहण कर सकता है। परिवार द्वारा फोन की निगरानी (monitoring), संपर्कों पर नियंत्रण, समय की पाबंदी, प्रोफाइल की दृश्यता को लेकर दबाव या सम्मान से जुड़े मानदंड महिलाओं की ऑनलाइन स्वायत्तता सीमित कर सकते हैं। Vyas (2025) का individual-family-community framework इस बहुस्तरीय नियंत्रण को स्पष्ट करता है।

ऑनलाइन उत्पीड़न सहभागिता की लागत बढ़ाता है। धमकियाँ (threats), trolling और public shaming के कारण महिलाएँ आत्म-सेंसरशिप या कम दृश्यता अपना सकती हैं। Raj (2023) और डिजिटल नारीवादी सक्रियता पर शोध इस अंतर्विरोध को दिखाते हैं: वही प्लेटफॉर्म Public Voice देता है और लैंगिक शत्रुता Public Voice को सीमित भी कर सकती है।

अंतर्संबंधता (Intersectionality) केंद्रीय है। जाति, वर्ग, शिक्षा, आयु, ग्रामीण-शहरी स्थिति और भाषा डिजिटल सहभागिता के अनुभवों को बदलते हैं। Nanditha (2022) दिखाती हैं कि अधिक दृश्यता वाले नारीवादी डिजिटल आंदोलनों में भी हाशिये की महिलाओं की आवाज समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं पाती।

डिजिटल कौशल और आत्मविश्वास भी महत्वपूर्ण हैं। Mukherjee et al. (2024) का बड़े नमूने पर आधारित अध्ययन बताता है कि प्रशिक्षण का सशक्तिकरण प्रभाव सीखे गए कौशल के वास्तविक उपयोग और अनुभूत मूल्य (perceived value) से जुड़ा है। नीति का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण पूरा करना नहीं, बल्कि निरंतर और सामाजिक रूप से सार्थक उपयोग होना चाहिए।

11. प्रमुख निष्कर्ष एवं चर्चा

पहला, डिजिटल पहुँच आवश्यक हो सकती है, पर पर्याप्त नहीं। NSO के इंटरनेट उपयोग और मोबाइल स्वामित्व के अंतर डिजिटल पहुँच की लैंगिक संरचना दिखाते हैं; Vyas (2025) स्पष्ट करती हैं कि डिजिटल पहुँच के बाद भी पारिवारिक और सामुदायिक नियंत्रण उपयोग को सीमित कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल पहुँच से स्वायत्तता तक संक्रमण स्वयं एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय चरण है।

दूसरा, सोशल मीडिया सहभागिता बहुआयामी है। उपयोग की आवृत्ति की तुलना में सूचना, सामाजिक नेटवर्किंग, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, नागरिक जुड़ाव और सामूहिक कार्रवाई जैसे आयाम समाजशास्त्रीय रूप से अधिक अर्थपूर्ण हैं (Raj, 2023; Pain, 2021)।

तीसरा, सामाजिक पूंजी डिजिटल सहभागिता की महत्वपूर्ण मध्यवर्ती प्रक्रिया है। Parthiban et al. (2022) और Rice et al. (2023) संकेत करते हैं कि नेटवर्क, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहयोग तकनीक की संभावनाओं को सामाजिक संसाधनों में बदल सकते हैं।

चौथा, Public Voice को सशक्तिकरण के बराबर नहीं माना जा सकता। Pain (2021), Nanditha (2022) और Raj (2023) Public Voice और लामबंदी (mobilisation) की संभावनाओं के साथ असमान दृश्यता, अंतर्संबंधी बहिष्करण (intersectional exclusion) और उत्पीड़न को भी रेखांकित करते हैं।

पाँचवाँ, सशक्तिकरण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर समझना चाहिए। डिजिटल कौशल व्यक्तिगत आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सामाजिक नेटवर्क और सामूहिक कार्रवाई संबंधपरक तथा सामूहिक एजेंसी को बढ़ा सकते हैं।

छठा, अध्ययन Access-Participation-Empowerment के बीच विश्लेषणात्मक अंतर (analytical gap) प्रस्तावित करता है। Access Gap पूछता है कि किसे तकनीक तक पहुँच प्राप्त है; Participation Gap पूछता है कि कौन डिजिटल पहुँच को सार्थक सहभागिता में बदल पाता है; Empowerment Gap पूछता है कि सहभागिता किस सीमा तक निर्णय-निर्माण, स्वायत्तता और सामाजिक प्रभाव में बदलती है। यह एक अवधारणात्मक योगदान है; यह किसी नए स्थापित सिद्धांत का दावा नहीं करता। अध्ययन का समेकित समाजशास्त्रीय मार्ग चित्र 1 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 1. डिजिटल पहुँच से महिला सशक्तिकरण तक प्रस्तावित समाजशास्त्रीय मार्ग



11.1 डिजिटल सहभागिता की प्रकृति: उपस्थिति से सार्थक भागीदारी तक

सोशल मीडिया पर महिला की उपस्थिति को सामाजिक भागीदारी का अंतिम प्रमाण मानना पर्याप्त नहीं है। किसी मंच पर खाता होना, नियमित सामग्री देखना अथवा प्रतिक्रिया देना सहभागिता के आरंभिक रूप हो सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से सार्थक भागीदारी तब उभरती है जब डिजिटल क्रिया सामाजिक संबंधों, ज्ञान, सहयोग, सार्वजनिक अभिव्यक्ति अथवा सामूहिक क्रिया में बदलती है। इसलिए उपयोग की तीव्रता और सामाजिक परिणाम को एक ही बात नहीं माना जा सकता।

महिलाओं के लिए सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह पारंपरिक सार्वजनिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के बीच नई संचार-सीमा निर्मित करता है। घर से बाहर निकले बिना कोई महिला स्थानीय समूह, पेशेवर नेटवर्क, नागरिक अभियान या ज्ञान समुदाय से जुड़ सकती है। यह सुविधा विशेष रूप से उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकती है जहाँ गतिशीलता पर सामाजिक नियंत्रण या घरेलू उत्तरदायित्व अधिक हों। फिर भी डिजिटल सहभागिता समय-अभाव और अवैतनिक देखभाल कार्य (unpaid care work) से मुक्त नहीं होती। यदि महिला को उपकरण केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है अथवा घरेलू कार्य के बाद ही उपयोग की अनुमति है, तो तकनीकी उपलब्धता के बावजूद सहभागिता असमान रह सकती है।

इसलिए डिजिटल सहभागिता का मूल्यांकन कम-से-कम तीन प्रश्नों से किया जाना चाहिए: महिला क्या करती है, किस सामाजिक उद्देश्य से करती है, और उससे कौन-सा सामाजिक संसाधन या क्षमता उत्पन्न होती है। यह दृष्टिकोण निष्क्रिय उपभोग (passive consumption) और सक्रिय सहभागिता (active participation) के बीच अंतर स्थापित करता है और सशक्तिकरण को स्क्रीन-समय जैसी सतही मापों से अलग रखता है।

11.2 सामाजिक पूंजी, महिला नेटवर्क और सामूहिकता

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण क्षमता नेटवर्क विस्तार में है। पारिवारिक और पड़ोस-आधारित संबंधों से आगे जाकर महिलाएँ समान रुचि, पेशे, समस्या या सामाजिक उद्देश्य वाले लोगों से जुड़ सकती हैं। Bourdieu (1986) के सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण में इन संबंधों का महत्व उनकी संख्या में नहीं बल्कि उनसे उपलब्ध संसाधनों में है। सूचना, भरोसा, सिफारिश/रेफरल (referral), भावनात्मक सहयोग, बाजार-संपर्क और सामूहिक समर्थन ऐसे संसाधन हो सकते हैं।

भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह इस प्रक्रिया को समझने के लिए उपयोगी उदाहरण हैं। Rice et al. (2023) का Theory of Change framework बताता है कि डिजिटल पहुँच मौजूदा महिला सामूहिक समूहों की सामाजिक पूंजी को विस्तारित करने की क्षमता रखता है। इस दृष्टि से डिजिटल तकनीक किसी शून्य में समुदाय नहीं बनाती; वह पहले से मौजूद भरोसे और सामूहिक पहचान को नए संचार माध्यम से जोड़ सकती है। परिणामतः ऑफलाइन सामूहिकता और ऑनलाइन नेटवर्क एक-दूसरे को मजबूत कर सकते हैं।

यह तर्क नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि डिजिटल कार्यक्रम केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को लक्षित करते हैं तो वे सामाजिक समर्थन की भूमिका को कम करके आँक सकते हैं। इसके विपरीत, SHGs, महिला पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय महिला संगठनों और सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से डिजिटल कौशल और सुरक्षित सहभागिता को बढ़ाना सामूहिक एजेंसी की संभावनाएँ विकसित कर सकता है।

11.3 Public Voice, दृश्यता और लैंगिक मानदंड

डिजिटल मंचों ने महिलाओं की Public Voice के लिए अपेक्षाकृत कम लागत वाले अवसर उपलब्ध कराए हैं। Raj (2023) भारतीय संदर्भ में डिजिटल प्लेटफॉर्म को लामबंदी (mobilisation), समुदाय निर्माण और नारीवादी वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र (Feminist Counter-publics) से जोड़ती हैं। Pain (2021) का #MeToo संबंधी विश्लेषण बताता है कि डिजिटल सक्रियता महिलाओं के लिए Public Voice विकसित करने का माध्यम बन सकती है। किंतु Public Voice का विस्तार सामाजिक शक्ति-संबंधों को स्वतः समाप्त नहीं करता।

Banerjee and Mitra (2025) ने पश्चिम बंगाल के चुनावी संदर्भ में महिला राजनीतिक उम्मीदवारों की सोशल मीडिया पर दृश्य प्रस्तुतीकरण (visual representation) का विश्लेषण करते हुए दिखाया कि डिजिटल दृश्यता भी स्त्रीत्व (femininity) की स्थापित सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित हो सकती है। इसका व्यापक समाजशास्त्रीय अर्थ यह है कि महिला का डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश केवल 'दृश्य होने' का प्रश्न नहीं है; उसे यह भी सामाजिक अपेक्षाओं से सामंजस्य/मोलभाव (negotiate) करना पड़ता है कि समाज किस प्रकार की महिला उपस्थिति को स्वीकार्य, सम्मानजनक या विश्वसनीय मानता है।

इस प्रकार सोशल मीडिया पुराने लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने और पुनरुत्पादित करने—दोनों—का क्षेत्र हो सकता है। महिला अपनी पहचान और विचार प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन उसी दृश्यता के कारण moral policing, trolling और प्रतिष्ठा-संबंधी दबाव (reputational pressure) का सामना भी कर सकती है। इसलिए सशक्तिकरण के विश्लेषण में Public Voice के साथ सामाजिक लागत को भी शामिल करना आवश्यक है।

11.4 डिजिटल सुरक्षा और सहभागिता की सामाजिक लागत

ऑनलाइन सुरक्षा महिला सहभागिता की बाहरी समस्या नहीं, बल्कि उसकी केंद्रीय सामाजिक शर्त है। Narayani (2024) ने भारतीय डिजिटल संदर्भ में cyberbullying, ऑनलाइन उत्पीड़न, cyberfraud, misogyny और निजता संबंधी चिंताओं (privacy concerns) को महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ा है। जब सार्वजनिक अभिव्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार (abuse) अथवा निगरानी (surveillance) का जोखिम जुड़ता है, तब महिला की तार्किक प्रतिक्रिया आत्म-संरक्षण भी हो सकती है। इस स्थिति में प्लेटफॉर्म तकनीकी रूप से सुलभ होने के बावजूद वास्तविक सहभागिता कम हो सकती है।

ऑनलाइन हिंसा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत असुविधा तक सीमित नहीं है। यह सार्वजनिक विमर्श में लैंगिक सहभागिता अंतर उत्पन्न कर सकती है। यदि कुछ समूहों को बोलने की सामाजिक लागत दूसरों की तुलना में अधिक उठानी पड़े, तो डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र (Digital Public Sphere) औपचारिक रूप से खुला होते हुए भी व्यवहार में असमान रह सकता है। अतः निजता, शिकायत/रिपोर्टिंग तंत्र (reporting mechanisms), कानूनी जागरूकता, प्लेटफॉर्म जवाबदेही और सहकर्मी सहयोग (peer support) को सशक्तिकरण अवसंरचना का हिस्सा समझना चाहिए।

डिजिटल सुरक्षा का अंतर्संबंधी (intersectional) पक्ष भी महत्वपूर्ण है। जाति, वर्ग, धर्म, भाषा या सार्वजनिक भूमिका से जुड़ी पहचानें ऑनलाइन शत्रुता की प्रकृति को बदल सकती हैं। Nanditha (2022) का अंतर्संबंधता (intersectionality) पर जोर इस बात की याद दिलाता है कि सभी महिलाओं के लिए डिजिटल जोखिम और दृश्यता समान नहीं हैं।

11.5 सामाजिक भागीदारी से एजेंसी तक: एक समाजशास्त्रीय व्याख्या

सार्वजनिक सामाजिक भागीदारी और सशक्तिकरण के बीच एजेंसी वह निर्णायक अवधारणा है जो डिजिटल गतिविधि को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ती है। Kabeer (1999) के ढाँचे (framework) के अनुसार संसाधन तभी सशक्तिकारी अर्थ ग्रहण करते हैं जब वे व्यक्ति की रणनीतिक विकल्प (strategic choices) करने की क्षमता बढ़ाएँ। सोशल मीडिया के संदर्भ में इसका अर्थ है कि सूचना मिलने के बाद महिला निर्णय ले सके, नेटवर्क बनने के बाद सहायता प्राप्त या प्रदान कर सके, और Public Voice मिलने के बाद सामाजिक या संस्थागत प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता विकसित कर सके।

एजेंसी को केवल व्यक्तिगत आत्मविश्वास तक सीमित करना भी उचित नहीं है। संबंधपरक एजेंसी में परिवार और समुदाय के भीतर मोलभाव/समझौता-वार्ता (negotiation) की क्षमता आती है, जबकि सामूहिक एजेंसी में साझा हितों के लिए संगठित कार्रवाई शामिल है। सोशल मीडिया इन तीनों स्तरों को जोड़ सकता है: सीखने से व्यक्तिगत आत्मविश्वास, नेटवर्क से संबंधपरक संसाधन और अभियानों/समूहों से सामूहिक कार्रवाई विकसित हो सकता है। किंतु इन मार्गों (pathways) को अनुभवजन्य शोध में अलग-अलग मापना आवश्यक है।

इसी आधार पर प्रस्तुत अध्ययन का अवधारणात्मक विश्लेषणात्मक मार्ग (conceptual pathway)—डिजिटल पहुँच → डिजिटल स्वायत्तता → सोशल मीडिया सहभागिता → सामाजिक नेटवर्क/सामाजिक पूंजी → सार्वजनिक भागीदारी → एजेंसी → महिला सशक्तिकरण—एक क्रमिक विश्लेषणात्मक तर्क प्रस्तुत करता है। यह रेखीय और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया नहीं है; प्रत्येक चरण पर सामाजिक संरचनाएँ अवसरों को बढ़ा या सीमित कर सकती हैं।

11.6 उभरते आर्थिक-सामाजिक अवसर और भूमिका परिवर्तन

सोशल मीडिया आधारित सहभागिता केवल राजनीतिक या नागरिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। डिजिटल मंच महिलाओं के लिए घर-आधारित उद्यमिता (home-based entrepreneurship), कौशल-साझाकरण, पेशेवर नेटवर्किंग और ग्राहक-संपर्क के अवसर भी विकसित कर रहे हैं। Manimegalai, Bagilesh, and Shanmugam (2025) ने भारतीय गृहिणियों के संदर्भ में Instagram के माध्यम से डिजिटल उद्यमिता की संभावनाओं पर ध्यान दिया है। यद्यपि आर्थिक उद्यमिता इस अध्ययन का मुख्य परिणाम नहीं है, यह उदाहरण बताता है कि सामाजिक नेटवर्किंग और सार्वजनिक दृश्यता आर्थिक भूमिका परिवर्तन से भी जुड़ सकती है।

इस प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय महत्व आय से आगे है। जब घरेलू क्षेत्र में स्थित महिला डिजिटल माध्यम से ग्राहकों, पेशेवर समुदायों या अन्य उद्यमियों से जुड़ती है, तो उसके सामाजिक संबंधों का दायरा और परिवार में योगदान की मान्यता बदल सकती है। फिर भी प्लेटफॉर्म निर्भरता (platform dependence), अवैतनिक डिजिटल श्रम (digital labour), एल्गोरिदमिक दृश्यता (algorithmic visibility) और घरेलू जिम्मेदारियाँ ऐसे नए अवसरों को असमान बना सकती हैं। इसलिए आर्थिक भागीदारी को भी स्वायत्तता और सामाजिक मान्यता के साथ पढ़ना चाहिए।

12. निष्कर्ष एवं नीतिगत निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन का केंद्रीय निष्कर्ष है कि सोशल मीडिया महिला सशक्तिकरण का स्वतः कारण नहीं, बल्कि एक संभावित सामाजिक माध्यम है। डिजिटल पहुँच का परिणाम डिजिटल स्वायत्तता, कौशल, सामाजिक पूंजी, सार्वजनिक भागीदारी और एजेंसी के माध्यम से सामाजिक रूप से मध्यस्थित होता है।

नीतिगत स्तर पर केवल कनेक्टिविटी (connectivity) और उपकरण वितरण पर्याप्त नहीं हैं। महिला डिजिटल समावेशन कार्यक्रमों में व्यक्तिगत पहुँच, निजता (privacy), डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सूचना साक्षरता, साइबर सुरक्षा (cyber safety) और सार्वजनिक भागीदारी को संयुक्त रूप से शामिल करना चाहिए।

महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय महिला संगठनों और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के मौजूदा नेटवर्क को डिजिटल संचार और कौशल कार्यक्रमों से जोड़ना उपयोगी हो सकता है। ऐसे सामूहिक समूह विश्वास, सहकर्मी सहयोग (peer support) और ऑफलाइन वैधता उपलब्ध कराते हैं।

प्रौद्योगिकी-सहायित लैंगिक हिंसा (Technology-Facilitated Gender-Based Violence) को केवल साइबर-सुरक्षा का मुद्दा न मानकर समान सार्वजनिक सहभागिता के प्रश्न के रूप में देखना चाहिए। सुरक्षित रिपोर्टिंग तंत्र, प्लेटफॉर्म जवाबदेही, कानूनी जागरूकता और सामुदायिक सहयोग आवश्यक हैं।

अंततः महिला डिजिटल सशक्तिकरण का वास्तविक प्रश्न access से अधिक autonomy, presence से अधिक participation और दृश्यता से अधिक एजेंसी का है। डिजिटल सशक्तिकरण तभी सार्थक होगा जब तकनीकी पहुँच महिलाओं के स्वतंत्र विकल्प, सामाजिक भागीदारी और सामूहिक प्रभाव के विस्तार में बदल सके।

13. अध्ययन की सीमाएँ एवं भावी शोध

यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों और शोध-साहित्य पर आधारित है; इसलिए सोशल मीडिया उपयोग और सशक्तिकरण के बीच कारणात्मक संबंध (causal relationship) स्थापित नहीं करता। विभिन्न अध्ययनों में सशक्तिकरण, सहभागिता और engagement की परिचालनात्मक परिभाषाएँ (operational definitions) अलग हैं और नमूने भी विशिष्ट समूहों पर आधारित हैं।

भविष्य में ग्रामीण-शहरी तुलनात्मक क्षेत्रीय अध्ययनों, दीर्घकालिक शोध-डिज़ाइन (longitudinal designs) और जाति, वर्ग, आयु, शिक्षा तथा वैवाहिक स्थिति आधारित अंतर्संबंधी विश्लेषणों (intersectional analyses) की आवश्यकता है। विशेष रूप से यह जाँचना महत्वपूर्ण होगा कि ऑनलाइन सामाजिक भागीदारी किन परिस्थितियों में महिलाओं की ऑफलाइन निर्णय-निर्माण, गतिशीलता, संस्थागत भागीदारी और सामूहिक एजेंसी में परिवर्तित होती है।

14. संदर्भ

- Banerjee, R., & Mitra, S. (2025). Reconstituting the 'good woman': Gendered visual politics on social media during 2021 state election in West Bengal, India. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 31(3), 941–970. <https://doi.org/10.1177/13548565241287588>
- B. M., D., & Suresh, K. (2023). Social media-enabled sustainable communities: A case of Indian elected women representatives (EWRs). *Sustainability*, 15(15), 11485. <https://doi.org/10.3390/su151511485>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed., with a new preface). Wiley-Blackwell.
- International Telecommunication Union. (2025). *Measuring digital development: Facts and Figures 2025*. International Telecommunication Union.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Mangurkar, I., & Rangaswamy, N. (2022). Controlled empowerment of women: Intersections of feminism, HCI and political communication in India. *Feminist Theory*, 23(2), 171–206. <https://doi.org/10.1177/14647001221082296>
- Manimegalai, D., Bagilesh, K., & Shanmugam, K. (2025). Social media as a catalyst: How Instagram is enabling Indian housewives to become digital entrepreneurs. *Journal of Information Technology Teaching Cases*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/20438869251363995>
- Mukherjee, T., Ilavarasan, P. V., & Kar, A. K. (2024). Empowering through digital skills training: An empirical study of poor unemployed working-age women in India. *Information Technology for Development*, 30(3), 562–583. <https://doi.org/10.1080/02681102.2023.2292739>
- Nanditha, N. (2022). Exclusion in #MeToo India: Rethinking inclusivity and intersectionality in Indian digital feminist movements. *Feminist Media Studies*, 22(7), 1673–1694. <https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1913432>
- Narayani, A. (2024). Women's safety in digital space. *Indian Journal of Public Administration*, 70(3), 546–561. <https://doi.org/10.1177/00195561241271513>
- National Statistics Office. (2025). *Comprehensive Modular Survey: Telecom, 2025* (NSS Report No. 593 [80/CMS/1]). Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.

- Pain, P. (2021). "It took me quite a long time to develop a voice": Examining feminist digital activism in the Indian #MeToo movement. *New Media & Society*, 23(11), 3139–3155. <https://doi.org/10.1177/1461444820944846>
- Parthiban, R., Jaikumar, S., Basak, J., & Bandyopadhyay, S. (2022). Digital access through smartphones and well-being of BoP women: Insights from a field study in India. *Information Technology & People*, 35(1), 1–26. <https://doi.org/10.1108/ITP-10-2019-0552>
- Raj, S. (2023). Digital media and women's political participation in India. *Media Watch*, 14(3), 366–385. <https://doi.org/10.1177/09760911231185975>
- Rice, E., Barman-Adhikari, A., Chamberlain, S., Hariharan, D., Khanna, A., LeFevre, A., & Scott, K. (2023). Digital access opportunities for women's empowerment collectives: A theory of change based on social capital. *The International Journal of Community and Social Development*, 5(4), 394–412. <https://doi.org/10.1177/25166026231203933>
- Sharma, A., & Ojha, J. K. (2025). Analyzing the gender digital divide through powercube framework: A systematic literature review. *IFLA Journal*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/02666669251337064>
- Vyas, L. S. (2025). Digital revolution and the gender divide: Factors affecting mobile phone use in India. *Information, Communication & Society*, 28(3), 471–491. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2420034>

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.